

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण,
आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय
वितरण, भंडारण और विज्ञापन)
प्रतिषेध अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 42)

[5 दिसम्बर, 2019]

जनता की अपहानि से सुरक्षा करने के लिए जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रॉनिक
सिगरेट के उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण,
भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने के लिए उससे
संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 18 सितंबर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा।

2. यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उद्योग को अपने नियंत्रणाधीन ले लेना चाहिए।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विज्ञापन” से किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम्र, गैस, मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट या सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया कोई भी श्रवण या दृश्य प्रचार, प्रदर्शन या की गई घोषणा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या अन्य दस्तावेज या युक्ति भी है;

(ख) “प्राधिकृत अधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(i) उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी;

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी अन्य अधिकारी;

(ग) “वितरण” के अंतर्गत नमूनों के माध्यम से वितरण भी है, चाहे वे मुफ्त हो या अन्यथा और “वितरित करना” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(घ) “इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट” से ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति अभिप्रेत है, जो अंतःश्वसन के लिए वायुधुन्ध पैदा करने के लिए निकोटीन और सुवास सहित या रहित किसी द्रव्य को गर्म करती है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन परिदान प्रणाली, हीट नोट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और वैसी ही युक्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और किसी भी आकृति, आकार या रूप की हों किन्तु इसके अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन अनुज्ञप्त कोई भी उत्पाद नहीं आता है।

1940 का 23

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “द्रव्य” पद के अंतर्गत कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम द्रव्य या कोई अन्य पदार्थ भी है, चाहे वह ठोस स्थिति में हो या द्रव के रूप में हो या गैस या वाष्प के रूप में हो;

(ङ) “निर्यात” से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत में भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;

(च) “आयात” से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(छ) “विनिर्माण” से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या उसके किसी भाग को बनाने या उनका संयोजन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और उसके किसी भाग के विनिर्माण के लिए आनुषंगिक या सहायक कोई भी उप-प्रक्रिया भी है;

(ज) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) “व्यक्ति” के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई भी व्यक्ति या व्यष्टियों का समूह;

(ii) कोई फर्म (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं);

(iii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iv) कोई न्यास;

(v) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(vi) कोई सरकारी सोसाइटी;

(vii) कोई निगम या कंपनी या व्यष्टियों का निकाय; और

(viii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी उपखंड में नहीं आता हो;

(ज) “स्थान” के अंतर्गत कोई भी गृह, कमरा, बाड़ा, स्थान, वाहन या उसी प्रकार का क्षेत्र भी है;

(ट) “उत्पादन” के अंतर्गत इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित इलेक्ट्रानिक सिगरेट और उसके किसी भाग को बनाना या उसे संयोजित करना भी है;

(ठ) “विक्रय” से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को माल की संपत्ति का कोई भी अंतरण अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत आनलाइन अंतरण भी है), चाहे नकद के बदले में हो या प्रत्यय पर हो या विनिमय के माध्यम से हो तथा चाहे थोक विक्रय हो या खुदरा विक्रय हो और इसके अंतर्गत विक्रय के लिए करार और विक्रय का प्रस्ताव तथा विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,—

(i) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का, चाहे वह पूर्ण उत्पाद के रूप में हो या उसका कोई भाग हो, उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण नहीं करेगा; और

(ii) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का संवर्धन करता है।

इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, कोई भी व्यक्ति, जो किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका उपयोग करता है, जानबूझकर उसका उपयोग इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के किसी स्टॉक के भंडारण के लिए उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा:

इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के भंडारण का प्रतिषेध।

परंतु अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के विक्रय, वितरण, परिवहन, निर्यात या विज्ञापन के लिए रखे गए विद्यमान स्टॉक का इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से व्ययन किया जाएगा—

(क) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के विद्यमान स्टॉक की बाबत स्थान का स्वामी या अधिभोगी, स्वप्रेरण से, उसके कब्जे में इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के ऐसे स्टॉक की सूची तैयार करेगा और अनावश्यक विलंब के बिना सूची में यथा विनिर्दिष्ट स्टॉक को प्राधिकृत अधिकारी के निकटतम कार्यालय में प्रस्तुत करेगा; और

(ख) यह प्राधिकृत अधिकारी, जिसके पास खंड (क) के अधीन इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के किसी स्टॉक को भेजा जाता है, समस्त सुविधायुक्त प्रेषण सहित, ऐसे उपाय करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार व्ययन के लिए आवश्यक हों।

6. (1) कोई प्राधिकृत अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जहां—

वारंट के बिना प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

(क) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का कोई भी व्यापार या वाणिज्य किया जाता है या इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण या परिवहन किया गया है; या

(ख) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का कोई विज्ञापन बनाया गया है या बनाया जा रहा है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तलाशी पूरी होने के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी उक्त स्थान में तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करेगा, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उपयोग किया जाना आशयित है या उपयोग किए जाने का युक्तियुक्त संदेह है और यदि वह उचित समझता है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, तो उसे अभिरक्षा में लेगा और उसे इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख या संपत्ति सहित प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश करेगा।

(3) जहां अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति, स्टॉक को या उत्पादक, विनिर्माता, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिवहनकर्ता, विक्रेता, वितरक, विज्ञापनकर्ता या स्टॉकिस्ट द्वारा रखे गए अभिलेखों को कुर्क करने का लिखित में आदेश कर सकेगा,

जिनके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से किसी अपराध के संबंध में शिकायत की गई है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या कोई युक्तियुक्त संदेह है और ऐसा आदेश उक्त अपराध से संबंधित व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन समस्त तलाशी, अभिग्रहण और कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। 1974 का 2

धारा 4 के उल्लंघन के लिए दंड।

7. जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और दूसरे या पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 5 के उल्लंघन के लिए दंड।

8. जो कोई, धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

अपराधों की अधिकारिता और विचारण।

9. (1) धारा 4 या धारा 5 के अधीन किसी अपराध को करने वाले किसी भी व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किसी भी ऐसे स्थान में किया जाएगा, जहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारण किए जाने के दायित्वाधीन है।

(2) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 1974 का 2

अभिगृहीत स्टॉक का व्ययन करने की शक्ति।

10. न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के समापन के पश्चात् और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों का स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक का व्ययन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 34 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। 1974 का 2

कंपनियों द्वारा अपराध।

11. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसा अपराध किए जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था तथा उसके साथ ही साथ, कंपनी भी अपराध की दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होंगे:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) “निदेशक” से कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है और किसी फर्म के संबंध में फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

12. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ही लेगा, अन्यथा नहीं। 1974 का 2

अपराधों का संज्ञेय होना।

13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा।

14. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

15. इस अधिनियम के उपबंध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त हैं और उसके अल्पीकरण में नहीं है।

अन्य विधियों का लागू वर्जित न होना।

16. केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

18. (1) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।